UPGK010066982026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 2914/2026,

धीरेन्द्र यादव पुत्र सूर्यनाथ,
निवासी- दरगहिया, नन्दानगर,
थाना- एम्स, जनपद- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 288/2026,
धारा- 309 (4),351 (3),352,317 (2),3 (5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर।

10.07.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त धीरेन्द्र यादव, जो अपराध संख्या- 288/2026, धारा- 309 (4),351 (3),352,317 (2),3 (5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 25.06.2026 को समय करीब 09:00 बजे प्रथम सूचनाकर्ता रामकरन का लड़का विनेशन रजही होते हुए जंगल धुक्षण के तरफ जा रहा था। जंगल तीनकोनीयाँ नम्बर- 3 रेलवे क्रासिंग के उत्तर में रूक कर पेशाब करने लगा कि इतने में अज्ञात चोरो द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता के लड़के विनेशन की मोटर साईकिल पल्सर 125 सी0सी0 काले रंग लाल पट्टी बिना नम्बर प्लेट की चोरी कर लिया गया।

दौरान विवेचना दिनांक 29.06.2026 को आवेदक/अभियुक्त धीरेन्द्र यादव व सह-अभियुक्त जसवन्त सिंह व नितेश सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से बजाज पल्सर मोटर साईकिल 125 सी0सी0, जिसका इंजन नम्बर- DHXPTB98291 व चेसिस नम्बर- MD2B68BX7TPB05228 है, बरामद किया गया और आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो की प्रस्तुत मामले की घटना में संलिप्तता प्रकाश में आयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उन्हें इस मामले में लिप्त किया

गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। तथाकथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 29.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता रामकरन के लड़के विनेशन की मोटर साईकिल पल्सर 125 सी0सी0 बिना नम्बर प्लेट की व सोने की चेन छीन लिया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त की अभिरक्षा से उक्त मोटर साईकिल पल्सर बरामद हुआ है तथा सोने की चेन को आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा बेच दिया गया। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो की अभिरक्षा से बजाज पल्सर मोटर साईकिल 125 सी0सी0, जिसका इंजन नम्बर- DHXPTB98291 व चेसिस नम्बर- MD2B68BX7TPB05228 है, बरामद होना कहा गया है, किन्तु कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 30.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अतः प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आवेदक/अभियुक्त धीरेन्द्र यादव का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 25,000/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाय-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
10 जुलाई, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:48:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court